

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी



मुकाम रायसिंहनगर

निहालचन्द्र आदि बनाम ओमप्रकाश आदि

मुकदमा 88-53-92ए-209 आरटीएक्ट

नम्बर 28 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/57

रीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
3.2025	<p>वादी निहालचन्द्र पुत्र श्री परमजीत जाति मेघवाल साकिन 50 एन.पी.(ततारसर) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री महन्द्र शर्मा अधिवक्ता ने वाद-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p> <p><i>शपथ पत्रावली पेश की गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी ने स्वयं अस्पष्ट विवरण दिया कि वादी स्वयं निवासी के मध्य वादी नाम है - पुत्र ही अर्थात् पत्रावली तदनुसार प्रोसेस करने की स्वीकार करा दिया। वादी कि कम्पोजिट निश्चय करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी स्वयं ही वाद पत्र पत्रावली नहीं पाहती है अतः वाद पत्र कि भाग पत्रावली को वे अधिवक्ता ही वाद पत्र का प्रोसेस करने की स्वीकृति हुआ की पत्रावली ही पत्रावली मिलित होकर नम्बर 28 कम है। निर्णय सुलभ आशय प्रमाण।</i></p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p>	<p>271 11/3/25</p> <p><i>Not best.</i></p> <p><i>निहालचन्द्र</i></p> <p><i>Subhash Chandra</i></p>

